न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 86 / 2022

प्रार्थीगणः–

1. अणदाराम पुत्र जोगाराम रबारी विासी भागवा
2. मादाराम पुत्र जोगाराम रबारी विासी भागवा
3. रूपाराम पुत्र जोगाराम रबारी विासी भागवा
4. हटाराम पुत्र जोगाराम रबारी विासी भागवा
5. गवरी पत्नी जोगाराम रबारी विासी भागवा
6. निम्बाराम पुत्र तेजाराम रबारी विासी भागवा
7. वेलाराम पुत्र तेजाराम रबारी विासी भागवा
8. सरदारा पुत्र तेजाराम रबारी विासी भागवा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. मांगाराम पुत्र धर्माराम जाति भील निवासी भागवा
3. मोवनराम पुत्र धर्माराम जाति भील निवासी भागवा
4. हीराराम पुत्र धर्माराम जाति भील निवासी भागवा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री जयप्रकाश रामदेव अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री लादाराम परमार अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 ता 4

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 18.06.22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थी संख्या 02 ता 04 की ओर से वकील श्री लादाराम उपस्थित जिनके द्वारा प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष प्रदान किये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071 –2074 सरहद मौजा भागवा पटवार मण्डल भागवा भू.अ.नि रमणीया तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 383,541 व 542 रकबा क्रमशः 1.7563,3.5208 व 2.5657 हैक्टयर भूमि अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा भागवा पटवार मण्डल भागवा भू.अ.नि रमणीया तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 383,541 व 542 रकबा क्रमशः 1.7563,3.5208 व 2.5657 हैक्टयर सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे, आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

आदेश आज दिनांक **18.04.2022** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना